भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1508

(दिनांक 08.03.2021 को उत्तर देने के लिए)

दूरदर्शन फ्री डिश पर व्यूअरशिप (दर्शकों की संख्या)

1508. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री राजमणि पटेल :
श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ निजी नेटवर्कों ने वर्ष 2017 में प्रसार भारती की नीलामी प्रणाली में धांधली करके दूरदर्शन फ्री डिश में अपने दर्शकों की संख्या में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन शिकायतों को खारिज या नजरअंदाज किया है या 'रद्द' कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ङ) दूरदर्शन फ्री डिश तक पहुंच के लिए उक्त मीडिया नेटवर्कों की ओर से शुल्क न प्राप्त होने के कारण राजकोष को अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है; और

(च) इन मीडिया नेटवर्कों से शुल्क वसूल करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (च): दूरदर्शन (डीडी) फ्री डिश एक फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम प्लेटफार्म है। डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स पर प्राइवेट प्रसारकों के कुछ चैनलों के रिसेप्शन के संबध में प्रसार भारती से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से डीडी फ्री डिश से डाउनलिंक योग्य चैनलों के भाग नहीं थे। इस मामले की जांच की गई है और यह देखा गया कि किसी टेलीपोर्ट से अपलिंक करते समय फ्री-टू-एयर टीवी चैनलों के सिग्नलों के सह-स्थान और सिग्नलों के एन्क्रिप्शन के लिए गैर-अनिवार्य आवश्यकता की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है।

******